

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक ३५ अ-८२/२०१७-१८ मौजा तावला ४०३५

बैतूल दिनांक २६ - 03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-१

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकमा लगभग क्षेत्रफल(है०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	तावला	19.987	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - २

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकमा	कुल अर्जित रकमा है.
1	2	3	4	5
1	पून्ज्या पंजाबराव संजय वल्द डोमा जाति कुन्बी बिहरगांव भूमि स्वामी	1	3.089	1.456
		3	0.328	0.328
		4	0.162	0.162
		5	0.275	0.275
		6	0.575	0.287
		7	0.142	0.142
		8	0.182	0.182
		13	1.813	1.368
2	चन्द्रकला बेवा कचरया, घनश्याम विजय वल्द कचरया इमला गीता पिता कचरया, पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी	2	0.449	0.449
3	ईठोबा वल्द झांगो जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी	9/1	0.186	0.186
		11/1	0.518	0.518
		11/3	0.077	0.077
		12/2	0.647	0.547

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हैं.
1	2	3	4	5
4	आनंदराव वल्द शिवराम जाति कुन्ही पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी	9/2	0.227	0.227
		11/2	0.591	0.591
		12/1	0.526	0.526
5	गवनसिंह वल्द भैया पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी	10	0.065	0.065
		81/1	0.039	0.039
		86/1	0.619	0.619
		86/4	0.704	0.303
6	पंजाबराव वल्द डोम पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी	16	1.012	0.540
7	खुट्टू वल्द श्यामराव, कला पिता श्यामराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17	1.081	0.566
8	राजाराम वल्द जगन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	76	1.277	0.405
9	मंभीरसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	81/2	0.039	0.039
		82/1	1.214	1.214
		86/2	0.470	0.470
10	चन्द्रभानसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/3	1.235	0.617
11	विजय वल्द गुरुदयाल	80/6	0.866	0.202
		82/2	0.446	0.446
12	अमरसिंह, सुमरसिंह, सुन्दसिंह वल्द झामसिंह घुड़ी पिता झामसिंह जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी	83	0.709	0.709
		103	0.214	0.052
		100	0.918	0.918
13	सेवासिंह, जगदीश वल्द ओमकारसिंह जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी	84	0.714	0.714
		101	0.725	0.405
14	जगदीश वल्द ओमकार जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी	85/1	0.445	0.445
		85/3	0.142	0.142
		85/4	1.960	0.343
		98/1	1.294	0.607

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
15	देवीसिंग वल्द बुधसिंह सा.देह	85/2	1.194	0.891
		98/2	1.356	0.992
16	प्रितमसिंह अजूरसिंह	99	1.024	0.923
	योग		29.549	19.987

1— चूंकि लिहदा लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विरथापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाजात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।


2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,



(शशाक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग




पृष्ठ 35 अ-82 / वर्ष 17-18 / तावला / ५०३५

बैतूल दिनांक ३-२०१८

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, मोप्र० भोपाल की ओर मोप्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चर्चा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत तावला तहसील मुलताई जिला बैतूल (मोप्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रु